134

क्रमांक 12/71/93-2जी0एस0-I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, सभी मण्डलों के आयुक्त ।

2. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त और उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) ।

3. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।

दिनांक, चण्डीगढ़, 17 अगस्त, 1994

विषय :—अधीक्षकों के पदों को राजपत्रित वर्ग "ख" घोषित करना ।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर सरकार के परिपत्र क्रमांक 15/1/88-2 जी0एस0 I, दि
27-9-90 की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है जिस द्वारा सभी विभागों के सभी कार्यालयों के 2000-60-23
75-2900-100-3500 रुपये के वेतनमान में कार्यरत अधीक्षकों को राजपत्रित वर्ग "ख" घोषित करने बारे f
जारी करते हुए सम्बन्धित सेवा नियमों में संशोधन करने हेतु कहा गया था । परन्तु बहुत से विभागों द्वारा नियमों
संशोधन न करने तथा अधीक्षकों को राजपत्रित वर्ग "ख" घोषित करने की स्थिति में एकरूपता बनाए रखने हेतु f
23-6-93 को एकीकृत आदेशों द्वारा सेवा नियमों में प्रावधान किए बिना 2000-60-2300-75-2900-100-3
रुपये के वेतनमान में कार्यरत सभी अधीक्षकों को राजपत्रित वर्ग "ख" घोषित करने के निर्देश जारी किए गए । अब
पर आगे विचार करते हुए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 2000-60-2300-75-2900-100-3
रुपये के वेतनमान में कार्यरत सभी कार्यालयों के अधीक्षकों को दिनांक 23-6-93 से राजपत्रित वर्ग "ख" घोषित
बारे सम्बन्धित सेवा नियमों में संशोधन किया जाए ।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग के सेवा नियमों में यह संशोधन 2 मास के अन्दर-अन्दर
सरकार को अवगत कराएं ।

भवदीय,

हस्ता0/—

संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव को भेजकर अनुरोध है कि इस
में उनके अधीन कार्यरत विभागों के सेवा नियमों में निर्धारित अवधि में संशोधन करवा कर इस विभाग को
कराएं ।

हस्ता0/—

संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशास

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा स